

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा (छ.ग.)

फोन नं. (07819) 245622, फैक्स - 245622 ई-मेल- dfo-jchampa.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 3630
प्रति,

चांपा/दिनांक 02/06/2021

- उप प्रबंधक,
गोवा-तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड
पं. रविशंकर शुक्ल नगर, कोरबा (छ.ग.)
- विषय:- Diversion of 137.014ha. Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act-1980 Proposed for construction of 765 KV D/C Dharamjaigarh-Raigarh (Tamnar) Pool Transmission Line under three forest divisions of Chhattisgarh State for "Additional System for Power Evacuation from Generation Projects pooled at Raigarh (Tamnar) pool" regarding.
- संदर्भ - 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का प.क./ FC-III/IROCH-02/2021-NGP/18 दिनांक 31.03.2021.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- भू-प्रबंध/व.संअ. छ.ग. रायपुर का प.क. / भू-प्रबंध/विद्युत /479-173/978 दिनांक 06.04.2021.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा कोरबा, धरमजयगढ़ एवं रायगढ़ के अंतर्गत प्रस्तावित 765 के.व्ही. धरमजयगढ़-रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुरूप निम्नानुसार राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 की दर 798897/- प्रति हे. से जमा कराना सुनिश्चित करें -

क.	अधिरोपित शर्त एवं विवरण	प्रस्तावित रकबा हे.	दर प्रति हे.	राशि (रु.)
1	शर्त ii(a) क. iii एवं के अनुसार क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रकबा 137.014हे. के बदले जांजगीर-चांपा वनमंडल अंतर्गत दुगने बिगड़े वन क्षेत्र एवं नारंगी वनक्षेत्र में 245.000हे. प्रस्तावित की गयी है।	245.000	798897/-	195729765

उक्त राशि रु. 195729765/- (रु. उन्नीस करोड़ सन्तावन लाख उनतीस हजार सात सौ पैंसठ) मात्र छ.ग. राज्य कैम्पा खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल में चालान जनरेट कराकर नोडल कार्यालय से अनुमोदन उपरांत जमा करावें।
संलग्न- उपरोक्तानुसार,

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 3631
प्रतिलिपि -

वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल
चांपा/दिनांक 02/06/2021

- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल को सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-चाम्पा वनमण्डल



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़

रायगढ़ रोड़, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ [छ.ग.-496116]

Email - dfo_dharamjaigarh@rediffmail.com Phone&Fax :07766-266599,07766-266739

क्रमांक/मा.चि./
प्रति,

2686

धरमजयगढ़, दिनांक 16/6/21

उप प्रबंधक,

गोवा तमनार ट्रोशमिशन प्रोजेक्ट लिमि.

पं. रविशंकर शुक्ल नगर कोरबा (छ.ग.)

विषय :-

Diversion for forest land for non- forest purpose under forest Conservation Act.1980 Proposed for Construction of 765 KV/DC Dharamjaigarh - Raigarh (Tamnar) pool Transmission line under three forest division of Chhattisgarh State for " Additionl System for Power Evacuation from Generation Projects pooled at Raigarh (Tamnar) pool" area 137.014 ha. - regarding

संदर्भ :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर का पत्र क्र. /No.FC-III/IROCH-02/2021-NGP/18 दिनांक 31.03.2021
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख (भू-प्रबंध) नवा रायपुर छ0ग0 का पत्र क्र. /भू-प्रबंध/विद्युत/479-173/977 दिनांक 06.04.2021
3. इस कार्यालय के पत्र क्र./मा.चि./2367 दिनांक 06.05.2021
4. वन परिक्षेत्राधिकारी छाल का पत्र क्र./938 दिनांक 14.06.2021

—O—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति अधिरोपित शर्तों के तहत जारी की गई है।

अतः शर्त क्र. IX अनुसार 10 मी. चौड़ी कण्डक्टर के नीचे एक पट्टी में बौने /औषधि प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण योजना हेतु राशि 6998340/- को छ0ग0 राज्य कैम्पा खाते में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कर मूल पावती प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

/धरमजयगढ़, दिनांक - 16/6/21

क्रमांक/मा.चि./2021/ 2687

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी कोरबा, रायगढ़ एवं जांजगीर- चांपा वनमण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़

रायगढ़ रोड़, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ [छ.ग.-496116]

Email - dfo_dharamjaigarh@rediffmail.com Phone&Fax :07766-266599,07766-266739

क्रमांक/मा.चि./

2382

धरमजयगढ़, दिनांक

12/5/2021

प्रति,

उप प्रबंधक,

गोवा तमनार ट्रोशमिशन प्रोजेक्ट लिमि.

पं. रविशंकर शुक्ल नगर कोरबा (छ.ग.)

विषय :-

Diversion for forest land for non- forest purpose under forest Conservation Act.1980 Proposed for Construction of 765 KV/DC Dharamjaigarh - Raigarh (Tamnar) pool Transmission line under three forest division of Chhattisgarh State for " Additionl System for Power Evacuation from Generation Projects pooled at Raigarh (Tamnar) pool" area 137.014 ha. - regarding

संदर्भ :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर का पत्र क्र. /No.FC-III/IROCH-02/2021-NGP/18 दिनांक 31.03.2021
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख (भू-प्रबंध) नवा रायपुर छ0ग0 का पत्र क्र. /भू-प्रबंध/विद्युत/479-173/977 दिनांक 06.04.2021

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के द्वारा कोरबा, धरमजयगढ़ एवं रायगढ़ वनमण्डल के अन्तर्गत प्रस्तावित 765 के. व्ही. धरमजयगढ़- रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु गैर वानिकी उपयोग हेतु गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड को वनसंरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत सैध्दांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के तहत प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है। शर्त क्र. IV के परिपालन में धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत NPV की राशि रु. 48891838 /- (शब्दों में चार करोड़ अठासी लाख इक्यानबे हजार आठ सौ अड़तीस मात्र) छ0ग0 राज्य कैम्पा खाते में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कर मूल पावती प्रस्तुत करें तथा प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पूर्ण पालन प्रतिवेदन 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यावाही किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

क्रमांक/मा.चि./2021/ 2383

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर छ0ग0 की आरे सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी कोरबा, रायगढ़ एवं जांजगीर- चांपा वनमण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

/धरमजयगढ़, दिनांक - 12/5/2021

वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

☎ का. : 07759-221273 , वि. : 07759-222504, फैक्स 07759-223531, Email : dfo_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अ/ 3997
प्रति,

कोरबा, दिनांक 18/06/2021

उप प्रबंधक

गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड

पं. रविशंकर शुक्ल नगर, कोरबा (छ.ग.)

विषय :- Diversion of 137.014 ha Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act-1980

Proposed for construction of 765 KV D/C Dharamjalgarh - Raigarh (Tamnar) Pool Transmission Line under three forest divisions of Chhattisgarh State for "Additional System for Power Evacuation from Generation Projects Pooled at Raigarh (Tamnar) Pool"-regarding.

पंजीयन क्रमांक :- FP/CG/TRANS/35105/2018

संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्रमांक/

FC-III/IROCH-02/2021-NGP/1 दिनांक 31.03.2021।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-173/978, दिनांक 06.04.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। (छायाप्रति संलग्न) है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कोरबा, धरमजयगढ़ एवं रायगढ़ वनमण्डल के अंतर्गत प्रस्तावित 765 के.वी. धरमजयगढ़ - रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु गोवा तमनार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 1 से XXV तक बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन पृथक - पृथक वचन पत्र सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। प्रथम चरण स्वीकृति के परिपालन में निम्नानुसार अधिरोपित शर्त के संबंध में राशि जमा कराना सुनिश्चित करें।

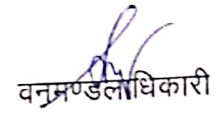
क.	अधिरोपित शर्त क. एवं विवरण	प्रस्तावित रकबा (हे.)	दर प्रति हे.	राशि (रु.)
1	शर्त क. IV के अनुसार शुद्ध प्रत्याशा मूल (N.P.V.) Eco Class-I सघन वन (संरक्षित वन एवं नारंगी वन भूमि)	21.329	939000	20027931
2	शर्त क. IV के अनुसार शुद्ध प्रत्याशा मूल (N.P.V.) Eco Class-I खुला वन (राजस्व वन भूमि)	34.095	730000	24889350
	योग:-			44917281
3	शर्त क. IX के अनुसार बौने औषधीय वृक्षारोपण हेत	8.272	798897	6608476
	कुल योग:-			51525757

राशि रु 51525757 (रु पाँच करोड़ पंद्रह लाख पच्चीस हजार सात सौ सत्तावन) मात्र छ.ग. राज्य कैम्पा खाते में ई- पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल द्वारा चालान जनरेट कराकर नोडल कार्यालय से अनुमोदन उपरान्त जमा करावें।

उक्त विद्युत पारेषण लाईन कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि रकबा 6.481 हे. नारंगी वन भूमि रकबा 14.848 हे. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 34.095 हे. कुल रकबा 55.424 हे. में कंडिका क. के अनुसार वन भूमि में सीमांकन के लिये पीलर निर्माण हेतु एवं कंडिका क. के अनुसार कण्डक्टर बण्डल के नीचे 10-10 मीटर चौड़ी पट्टी में वृक्ष विदोहन हेतु राशि पी.डी. खाते में जमा की जानी है, जो निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	प्रस्तावित रकबा (हे.)	राशि (रु.)
1	शर्त क. XVIII के अनुसार सीमांकन के लिये पीलर निर्माण हेतु	55.424	5627110
2	शर्त क. V के अनुसार वृक्ष विदोहन एवं परिवहन व्यय एवं बॉस विदोहन हेतु	16.544	1775750
	योग		7402860

उपरोक्त राशि रु. 7402860/- (चौहत्तर लाख दो हजार आठ सौ साठ) मात्र का बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के नाम से तैयार कराकर इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करे, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।


वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा

कोरबा दिनांक 18.6.2021

पृ.क./तक.अ./

3998

प्रतिलिपि -

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, विलासपुर वृत्त विलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी / नोडल अधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./

3378

/2021/रायगढ़, दिनांक - 17.06.2021

प्रति,

उप प्रबंधक,

गोवा-तमनार ट्रांसमिशन लाईन प्रोजेक्ट लिमि.,

पं. रविशंकर शुक्ल नगर, कोरबा (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of 137.014 ha. forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Construction of 765 KV D/C Dharamjaigarh-Raigarh (Tamnar) Pool Transmission Line under three forest divisions of Chhattisgarh State for "Additional System for Power Evacuation from Generation Projects Pooled at Raigarh (Tamnar) Pool area.

संदर्भ :-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ.सी.-3/आर.ओ.सी.एच.-02/2021-एन.जी.पी./18 दिनांक 31.03.2021
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/विद्युत/479-173/978 दिनांक 06.04.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत गोवा तमनार ट्रांसमिशन लाईन प्रोजेक्ट लिमि. कोरबा के द्वारा 765 के. व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़-रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु संदर्भित पत्र क्रमांक-1 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों (i से xxiii) का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र प्रेषित करें एवं निम्नानुसार राशि जमा करें।

- 1) प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक (IX) के पालन में 10 मीटर चौड़ी कण्डक्टर के नीचे एक पट्टी में बौने/औषधी प्रजाति के पौधों का 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2021-22 में देय दर अनुसार लागत राशि रुपये प्रति हेक्टेयर 7,98,897/- की दर से रकबा 3.417 हे. का राशि रुपये 27,29,831/- (रुपये सत्ताईस लाख उन्तीस हजार आठ सौ इकत्तीस मात्र) जमा करें।
- 2) समादेश याचिका (सी) क्रमांक 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक 556 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव हेतु व्यववर्तित की जाने वाली 22.896 हे. में से खुला वन रकबा 3.540 हे. भूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास-III खुला वन अनुसार प्रति हे. रुपये 626000/- अनुसार राशि रुपये 22,16,040/- (रुपये बाईस लाख सोलह हजार चालीस) मात्र एवं सघन वन रकबा 19.356 हे. भूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास-III सघन वन अनुसार प्रति हे. रुपये 803000/- अनुसार राशि रुपये 1,55,42,868/- (रुपये एक करोड़ पचपन लाख बियालीस हजार आठ सौ अठसठ) मात्र कुल राशि रुपये 1,77,58,908/- (एक करोड़ सतहत्तर लाख अनठावन हजार नौ सौ आठ मात्र) जमा करें।

- 3) सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त क्रमांक XVIII के पालन में आवेदित क्षेत्र को चार फीट ऊंची आर.सी.सी. पीलर्स गाड़कर फारवर्ड एवं बैकवर्ड वीयरिंग अंकित किया जाकर सीमांकन कार्य किये जाने हेतु योजना अनुसार रकबा 22.896 हे. के लिए राशि रु.11,40,022/- (ग्यारह लाख चालीस हजार बाईस) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कर जमा करें।
- 4) वृक्ष विदोहन की राशि योजना अनुसार 15,08,858/- (पन्द्रह लाख आठ हजार आठ सौ अन्ठावन) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम तैयार कर जमा करें।

बिन्दु क्रमांक 01, 02 की राशि कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल द्वारा चालान जनरेट कराकर नोडल कार्यालय से अनुमोदन उपरांत जमा करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./

3379

/2021/रायगढ़, दिनांक - 17.06.2021

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़